राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 713/2009/भरतपुर.

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक भरतपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र श्री श्यामलाल
2. केदारनाथ पुत्र श्री श्यामलाल
3. हरिशंकर पुत्र श्री श्यामलाल
4. अनिल कुमार पुत्र श्री श्यामलाल जाति वैश्य,
   निवासीगण कुम्हेर, वर्तमान निवासी बसन गेट, भरतपुर. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अनिल मोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/9/2014

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्व द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–भरतपुर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 13/08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 9.2.2009 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 694 चक नं. 2 भरतपुर क्षेत्रफल 1504 वर्गफीट का दान अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करते हुए निष्पादित दानपत्र दस्तावेज दिनांक 16.11.2007 को पंजीयन हेतु उप–पंजीयक भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे उप–पंजीयक ने पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात रैण्डम चैकिंग में उक्त दस्तावेज से हस्तान्तरित सम्पत्ति वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपयोग की पाये जाने पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 21,26,393/– प्रस्तावित करते हुए रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश से प्रश्नगत सम्पत्ति को आवासीय उपयोग की मानते हुए पूर्ण मालियत पर पंजीबद्ध होना अवधारित करते हुए रेफरेंस को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी राजस्व द्वारा यह निगरानी गियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है।

3. अप्रार्थीगण की ओर से, बावजूद अखबार में प्रकाशन, किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, प्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

लगातार 2

4. प्रार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ना तो प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है एवं ना ही सम्पत्ति के दानकर्ताओं (अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4) को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों की पालना किये बगैर निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। यह भी कथन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मियाद एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है एवं उक्त कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार किया जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 9.2.2009 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

6. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से यह पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है तथा विक्रीत सम्पत्ति के दानकर्तागण (अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4) को भी सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) को किसी भी दस्तावेज की मालियत के निर्धारण से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 अनुसार सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा ना तो मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) एवं ना ही राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना किया जाना पाया जाता है। अतएव कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है।

लगातार.....3

7. परिणामतः राजस्व की निगरानी स्वीकार करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए, उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क की देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

8. निर्णय सुनाया गया।

26/3/10

(मनोहर पुरी)
सदस्य